


1.2.24

वकील परिवारी उपस्थित वादीगण एवं उनके अधिकाधिक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वादीगण एवं उनके अधिकाधिक को कई बार अपील लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया और ना ही कोई हजिर जवाब ~~ही~~ आया। अतः दावा वादीगण अदम हाजिरी व अदम पैदा में खारिज किया जाता है। पञ्जाबी फौजदारी एंडर वाड लकीर हखजाफा दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

  
 उपखण्डाधिकारी  
 धौलपुर (राज०)